कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/2019–20/1–163 दिनांक–29.09.2019 के तहत् असमा बानो, व्याख्याता उर्दू राउमावि सीदड़ा, निवाई, टोंक का स्थानांतरण राउमावि राज्यावास, राजसमन्द किया गया। असमा बानो ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4003/2019 असमा बानो बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4003/2019 में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.19 द्वारा अपीलार्थी असमा बानो को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए ।

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी असमा बानो द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में कक्षा 11 व 12 में उर्दू विषय में शून्य नामांकन होने तथा स्थानान्तरित स्थान 300 किमी की दूरी पर स्थित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि दरबार टोंक/राउमावि टोडारायसिंह, टोंक/राबाउमावि सांगानेर, जयपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त प्रकरणों को स्थानातंरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान थे। अपीलार्थी इन में से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता हैं। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के निर्णय के क्रम में राउमावि राज्यावास, राजसमन्द में उर्दू विषय में नामांकन शून्य होने के आधार पर अपीलार्थी असमा बानो का समायोजन राउमावि कुनवारिया (222899), राजसमन्द व्याख्याता उर्दू के पद पर किया जा कर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता हैं। सभी संबंधित पक्षकार सूचित .होवें।

20/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/अभ्यावेदन/19–20 **दिनांकः– 20/12/2019**

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा ।
04. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, राजसमन्द।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान